न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 3/2023 (2023/13)

1. बसन्त कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण जाति महाजन निवासी जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. इन्द्रा पत्नि श्री सत्यनारायण श्री सत्यनारायण जाति महाजन निवासी जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. रीनू पुत्री श्री सत्यनारायण जाति महाजन निवासी जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. नोरतमल पुत्र श्री चांदमल जाति महाजन निवासी जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. सीता पुत्री चांदमल जाति महाजन निवासी जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक महोदय केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

——— अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज कानावत –वकील प्रार्थीगण
2. श्री मुकेश गढवाल – वकील अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः– 04/04/23

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. टिनेन्सी एक्ट में वर्णित प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात ग्राम/कस्बा जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है, आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है

नया खतोनी संख्या	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
63–66	2861	0.9300	नहरी 1
	2864	1.2800	चाही 1
	कुल किता 2	कुल रकबा 2.21 हैक्टर	

प्रार्थनापत्र में वर्णित उक्त आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सह खातेदारी की आराजीयात है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2073–76 से स्थाई में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का बतौर सहखातेदार काश्तकार नाम अंकन हो रखा है। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा निहित है एवं इसी हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का अभी तक विधिवत बंटवारा नही हो रखा है जिससे प्रार्थीगण को अपने 1/3 हिस्से की आराजीयात को भली भांती सुचारू रूप से काश्त करने में कई कठिनाईयां उत्पन्न होती है एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कई बार काश्त करते समय विवाद उत्पन्न हो जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात का बिना विधिक बंटवारा हुए अन्य दीगर व्यक्ति को विक्रय, हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहा है इस हेतु दिनांक 25.12.2022 को उक्त आराजीयात पर अजनबी क्रेता को लाकर आराजी दिखाने लगा। प्रार्थीगण ने बिना विधिक बंटवारा किये प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी का प्रतिकूलर पीस एवं प्रार्थीगण के पूर्व से

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

चले आ रहे कब्जे की आराजी को विक्रय करने से मना किया तो अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण से वाद विवाद लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजमी आया है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात का बिना विधिक बंटवारा हुए आराजीयात को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन, बैचान, बक्षीस, हस्तान्तरित नही करने, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1,2,3,4 स्वीकार किया है। पेरा संख्या 5 में वर्णित बंटवारा का कथन स्वीकार एवं शेष कथन अस्वीकार किया गया साथ ही निवेदन किया गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सह खातेदार है इस कारण सह खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द कराने का प्रार्थी हक अधिकार नही रखता है क्यों कि दोनो ही सह खातेदार है तथा दोनो के ही अधिकार है कि वे अपनी आराजीयात के संबंध में सभी प्रकार के अधिकार रखते है। अतः अप्रार्थी की ओर से जवाब स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश खारिज किया जावे एवं आराजीयात का बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या/अप्रार्थी संख्या 1 के अधिकार सुरक्षित रखे जावे। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपने जवाब के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है–

1. आर आर टी 2013(2) पृष्ठ संख्या 1108 से 1109 Kiran & Ors. Vs. Ajay kumar & Anr.
2. Citation: 2022(1) DNJ (Rev.) 854 Tamu (Smt.) & Ors. Vs. Kalyan (Deceased) Thro LR's & Ors.

पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गौर किया। अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा मूल वाद में प्रस्तुत जवाब दावा में बंटवारा किये जाने हेतु सहमति प्रदान करने पर मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी हो चुकी है एवं अप्रार्थीगण प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात के सह खातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है। प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया। अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। आदेश मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फेसल शमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner